उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1
संख्या-156/2019/1739/81-1-2019-300(7)/91
लखनऊ दिनांक 15 नवम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री जी0 नारायण मूर्ति, भा0व0से0, तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड, झांसी द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालय को अपने पत्र दिनांक 02.07.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वे दिनांक 01.04.2019 से 01.07.2019 तक चिकित्सा अवकाश पर रहे। शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या-1128/14-1-2019-30(8)/2018 दिनांक 29.06.2019 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, झांसी के पद पर श्री पिनाकी प्रसाद सिंह, भा0व0से0 की तैनाती हो जाने के फलस्वरूप श्री जी0 नारायण मूर्ति, भा0व0से0 द्वारा चिकित्सा अवकाश से वापस लौटकर दिनांक 02.07.2019 को अपनी उपस्थिति/योगदान विभागध्यक्ष कार्यालय को प्रस्तुत किया गया।

2. शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.06.2019 में उल्लिखित निर्देशानुसार श्री देवेन्द्र कुमार, मुख्य परियोजना निदेशक, जे0आई0सी0ए0 परियोजना उ0प्र0 लखनऊ के सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2019 (अपरान्ह) के उपरांत श्री जी0 नारायण मुर्ति, भा0व0से0 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/परियोजना निदेशक, जे0आई0सी0ए0 परियोजना, उ0प्र0 लखनऊ के पद का दिनांक 01.08.2019 के पूर्वान्ह से कार्यभार ग्रहण किया गया।

3- उपरोक्त वस्तुस्थिति के दृष्टिगत विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 30.09.2019 के साथ संलग्न श्री मूर्ति के पत्र दिनांक 02.07.2019 में किये गये अनुरोध के अनुक्रम में श्री जी0 नारायण मूर्ति, भा0व0से0 की दिनांक 02.07.2019 से 31.07.2019 तक की अवधि को नियमित मानते हुए उक्त अवधि में उन्हें प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय से सम्बद्ध माना जाय।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव

संख्याः-156/2019/1739(1)/81-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/केन्द्रीय भवन अलीगंज, लखनऊ।
2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सम्बन्धित अधिकारी को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
5- कम्प्यूटर सहायक को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीता चौधरी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in